न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

रिफरेन्स संख्या–30/2011–12 अन्तर्गत धारा–56 स्टाम्प एक्ट।

श्रीमती डिम्पल पत्नी सतीश कुमार, निवासी–ग्राम भट्टीपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार, 2. नगर मजिस्ट्रेट, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकत्री : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री विनोद कुमार डिमरी, जि0शा0अधि0, राजस्व।

निर्णय

यह निगरानी नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा स्टाम्प वाद संख्या–06/एम0वी0/09–10 अन्तर्गत धारा –47क/33 स्टाम्प अधिनियम सरकार बनाम श्रीमती डिम्पल में पारित आदेश दिनांक 09–09–2009 एवं इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

उप निबन्धक, हरिद्वार ने दिनांक 21 जनवरी, 2009 को अपनी आख्या अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार को इस आश्य की प्रेषित की कि ऋषिपाल सिंह एवं श्रीमती डिम्पल के मध्य भूमि खसरा नं0–415 एवं 417 क्षेत्रफल 123.60 वर्गमीटर स्थित ग्राम जगजीतपुर बाहर सीमा नगर पालिका, हरिद्वार का नोटरी इकरारनामा की छायाप्रति प्राप्त हुई है जिसमें सम्पत्ति का अन्तरण मूल्य रू0 15,50,000/– प्रदर्शित है। इकरारनामे के पृष्ठ 2 पर वर्णित है कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट पर निर्माण आदि का कार्य कर सकता है जिसके दृष्टिगत इकरारनामा मय कब्जा की श्रेणी से आच्छादित है जिस पर सम्पत्ति के बाजारी मूल्य रू0 15,50,000/– पर 8 प्रतिशत की दर से रू0 1,24,000/– का स्टाम्प शुल्क देय है। प्रलेख पर 100/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है जिसके आधार पर प्रलेख पर रू0 1,23,900/– कम अदा किया गया है तथा रू0 1,23,900/–कमी स्टाम्प शुल्क का प्रकरण कलेक्टर, स्टाम्प को प्रेषित किया गया।

उक्त आख्या पर अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार ने दिनांक 10–02–2009 को वाद पंजीकृत कर उसे निस्तारण हेतु नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को स्थानान्तरित किया। नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ने दिनांक 13–03–2009 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निगरानीकत्री को नोटिस भेजा लेकिन यह नोटिस किस तिथि को भेजा गया है वह अंकित नही है नोटिस की कार्बन प्रति पर दिनांक 01–03–2009 को नोटिस प्राप्त होना दर्शाया गया है लेकिन उसको किसने प्राप्त किया यह स्पष्ट नही है तथा उस पर यह टिप्पणी दिनांक 01–02–2009 को अंकित है कि "महोदय विपक्षी को बजाज खास तामील किया गया

मेरे द्वारा ह0 अस्पष्ट'' नोटिस प्राप्तकर्ता 01–03–2009 को नोटिस प्राप्तकर्ता है लेकिन उससे पहले की तिथि 01–02–2009 को तामील किये जाने की टिप्पणी अंकित की गई है एवं तत्पश्चात एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 09–09–2009 पारित किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि निगरानकत्री पर बिना नोटिस तामील हुए एवं उसका पक्ष सुने बिना आदेश दिनांक 09–09–2009 पारित किया गया है। आदेश दिनांक 09–09–2009 के विरूद्ध निगरानीकत्री ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 06–10–2009 को अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया तत्पश्चात लगातार 20 तिथियों पर पत्रावली के आदेश पत्र में यह टिप्पणी अंकित कर कि कभी जिला बार एशोसियेशन का कार्यस्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है व कभी पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है तिथि नियम की जाती रही और अन्ततः दिनांक 11–08–2010 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में निरस्त किया गया जबकि इन तिथियों में न तो निगरानीकत्री एवं न ही राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है। तत्पश्चात आक्षेपित आदेश दिनांक 27–04–2012 में यह उल्लेख करते हुए कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कपूर्ण बहस सुनने के उपरान्त पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 02–12–2010 आधारहीन एवं संतोषजनक न होने के कारण निरस्त किया जाता है। इसी आदेश दिनांक 27–04–2010 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

आक्षेपित आदेश दिनांक 27–04–2012 में उल्लेख किया गया है कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 02–12–2010 को प्रस्तुत किया गया है जबकि 02–12–2010 का कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध नही है। चूंकि आदेश दिनांक दिनांक 09–09–2009 एवं 27–04–2017 नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा पारित किया गया है जबकि स्टाम्प कमी से सम्बन्धित प्रकरणों को कलेक्टर, स्टाम्प द्वारा निस्तारित किया जाना चाहिए था अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के दृष्टिगत निगरानीकत्री को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना अनिवार्य है फलस्वरूप निगरानी स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 27–04–2012 एवं 09–09–2009 अपास्त कर प्रकरण कलेक्टर, स्टाम्प/जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकत्री को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक: 31/01/2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।